हरिया वगै० v/s कन्हैया वगै०
दावा सं० 125/14

4

		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7.6.16	आज पंचायतवार राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प अपने द्वारा 2016 कैम्प चिरावल मंडी में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो पैनल एवं सलाहकार सदस्यों ने सदस्यों द्वारा प्रमाणित किया जाकर पंचायतवार पंचायतवार किया गया। कैम्प के दौरान पंचायतवार में उभय-पक्ष को सुना तथा प्रस्तुत राजीनामा एवं पंचायतवार का अवलोकन किया जिसके आधार पर दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है अतः आदेश है कि - दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। आ० ख० नं० 43/02-08 वाके ग्राम आरसी तह० नागर पर मुताबिक खातेदार रिकार्ड मंगतू, साहबराम, जगराम, गंगाराम पि० भगवत हि० कास्त 1/3 हि०, मानसिंह पुत्र सर्वसुख 1/3 हि० हरवीर, राजेश पि० जगराम हि० कास्त 1/3 हि० दर 48/208, हरिया, चिरंजा रामजीलाल, जगदीश पि० किशन, रामसुख पुत्र घंटोली हि० कास्त 2/3 हि० कन्हैया, दयाराम पि० नानगा न हि० कास्त 1/3 हि०, शिवराम, रघुनाथ, हरकेश पि० लेजासिंह न हि० कास्त 1/18 हि०, अमर सिंह, किशोर पि० पीलया न हि० कास्त 1/6 दर 160/208 पर खातेदार घोषित किया जाता है, शेष इन्तकाल यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पंचायत डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार नागर को लिखा जावे। [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। 7/6/16

(योगानंद [illegible])
पैनल सदस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 12:04:31 IST
Reason: SelfAttested

अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा० कलक्टर
नागर (भरतपुर)

5.7.1